अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण दूरसंचार विभाग को हुआ घाटा

324. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में दूरसंचार विभाग के कर्मचारी जून के तीसरे सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, यदि हां, तो उनके हड़ताल पर जाने के क्या कारण थे और स्वचालित तथा मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों पर हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा तथा इससे सरकार को कितना वित्तीय घाटा हुआ; और

(ख) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने और दूरसंचार सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) दूरसंचार विभाग के कई कर्मचारियों ने दूरसंचार का निजीकरण न करने की मांग को लेकर 19.6.1995 से 23.6.1995 तक "बैठे रहो हड़ताल" की थी। स्वचालित एक्सचेंजों पर हड़ताल का नाम मात्र असर पड़ा तथापि, कुल मिलाकर, मैनुअल सेवाएं प्रभावित हुई, जिनमें दोष-मरम्मत सेवाएं भी शामिल हैं।

अनुमानित वित्तीय घाटे के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दूरसंचार विभाग और कर्मचारी महासंघों के बीच 23.6.95 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है) (**नीचे देखिए**) आशा की जाती है कि इस करार के लागू होने से कर्मचारियों के पास इस विषय पर हड़ताल करने का कोई आधार नहीं होगा।

विवरण

संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(दूरसंचार आयोग)
नई दिल्ली दिनांक 23 जून, 1995

अध्यक्ष दूरसंचार आयोग और सचिव दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा जे०सी०एम० विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के नेता तथा महासचिव दूरसंचार कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ, राष्ट्रीय दूरसंचार संगठनों का महासंघ और भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ के बीच 23 जून, 1995 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

1. विदेशी कम्पनियों की भूमिका तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के उल्लंघन के रूप में मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के बारे में अन्य पहलुओं के बारे में महासंघों का विवाद न्यायाधीन है।

2. जहां तक टैरिफ निर्धारण और अभिप्राप्ति प्रभार निर्धारण की मांग का संबंध है, इस बात पर सहमति हुई कि चूंकि सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के गठन की पहले ही घोषणा कर दी है अतः इसकी स्थापना के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा सभी संबद्ध मामले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

3. दूरसंचार विभाग के प्रत्येक गौण स्वीचन क्षेत्र की नई स्वीचन क्षमता का निर्धारण संबंधित सर्किल के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा। तथापि गौण स्विचन क्षेत्र के भीतर ऐसी क्षमता की अवस्थिति परक योजना का निर्णय मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके स्थानीय प्रबंधकों द्वारा लिया जाएगा।

4. इस बात पर सहमति हुई कि दूरसंचार विभाग प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में निष्पादन और सेवा की गुणवत्ता के वही मानदंड अपनाने के लिए बाध्य होगा।

5. यह सहमति हुई कि दूरसंचार विभाग अपने बेहतर वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर किसी भी समय मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रचालन का कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. यह सहमति हुई कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जाए जो ऐसे प्रस्ताव तैयार करे कि दूरसंचार विभाग के स्तर का कैसे उन्नयन किया जाए तथा इसे अधिक कार्यकुशल एवम् ग्राहक-हितैषी कैसे बनाया जाए ताकि इसे प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार किया जा सके। आशा की जाती है कि समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। समिति की रिपोर्ट, इस विषय पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले, सुधार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

7. यह सहमति हुई कि यदि दूरसंचार विभाग को कोई न्यायालय अथवा उपभोक्ता मंच, असंतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने अथवा इससे सम्बद्ध मामलों में धन की वापसी, जुर्माना, क्षतिपूर्ति आदि का आदेश देता है तो प्रत्येक मामले में जिम्मेवारी निश्चित की जाएगी और लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

8. सुधार समिति के निर्णयों को धीरे-धीरे लागू करने के बारे में महासंघों की शिकायत पर यह सहमति हुई कि गौण क्षेत्र स्तर पर इसी प्रकार की समितियां गठित की जाएं, ताकि सुधार समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

9. प्रशिक्षण कार्यक्रम और "योजनाएं, जिन पर पहले ही सहमति हुई है, अधिक तेजी से कार्यान्वित की जाऐंगी। इस संबंध में आगे निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

(क) पुर्नगठित संवर्गों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उच्च वर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या की बजाए प्रशिक्षण के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में प्रदान की जाएंगी।

(ख) जिस कर्मचारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिसने प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह एक ही बार प्रोत्साहन की एकमुश्त राशि प्राप्त करने का उस स्थिति में हकदार होगा यदि उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छः महीने के भीतर उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है।

(ग) अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग की क्षमता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद भी ली जाएंगी।

(घ) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें कम्प्यूटर-प्रयोग में मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, उन्हें निर्धारित विभागीय प्रशिक्षण से उस स्थिति में छूट दी जाएगी, यदि उन्हें वास्तव में ऐसे कार्य पर रखा गया है जिसमें कम से कम एक वर्ष की अवधि तक कम्प्यूटर का प्रयोग जरूरी है। ऐसी छूट से कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त किए बगैर प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने पर वह कर्मचारी अन्य ऐसे कर्मचारियों की तरह पदोन्नति अथवा प्रोत्साहन प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ङ) तकनीकी कार्मिकों के लिए, जो एक वर्ष अथवा अधिक समय तक नई प्रौद्योगिकियों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कम अवधि के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। तथापि प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा सघन अथवा सामान्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए एक जैसी ही होगी। आरम्भ में ऐसे सघन पाठ्यक्रमों के लिए नई प्रौद्योगिकी के कार्यों का पता लगाना होगा।

10. महासंघों के प्रतिनिधियों और कर्मचारी पक्ष के नेता ने जे०सी०एम० / महासंघों के ऐसे कई निर्णयों को लागू करने में देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त की है जिन पर पहले ही सहमति हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जे०सी०एम० की अस्थाई समिति के पास लम्बे समय से लम्बित पड़े अन्य मामलों को भी शीघ्रता से निपटाया जाए। यह सहमति हुई कि सभी मदों पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएं जिन पर पहले सहमति हुई थी और 90 दिन के भीतर सभी लम्बित मामलों को निपटाने के मुद्दे पर भी सहमति हुई। इसके अंत में, यदि कोई मामला फिर भी लम्बित रहता है तो उसे इस करार के पैरा 14 में यथा संदर्भित किसी एक मासिक बैठक में निर्णय के लिए संचार मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. जिन मामलों और मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से कुछ निम्नलिखित मामले शामिल हैं:—सर्किल कार्यालयों और सिविल विंग के समूह "घ" कर्मचारियों को एक समयबद्ध पदोन्नति / बी०सी०आर० देने के आदेश, बेतार अनुश्रवण कर्मचारियों के लिए समय-मान, सिविल विंग कर्मचारियों के लिए मानदंड / पदोन्नति के अवसर, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले मजदूरों का नियमितीकरण, मूल नियम 22 (ग) के तहत पी०आई० / टीए आदि और पुनर्गठित संवर्गों का वेतन निर्धारण। यह सहमति हुई कि इन मामलों पर और जे०सी०एम० में भाग न लेने वाले महासंघों / संघों द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाए और उन्हें जल्दी निपटाया जाए।

12. हड़ताल के वेतन के बारे में संचार राज्य मंत्री जी ने महासंघों के निवेदन पर विचार करने पर अलग से सहमत हुए हैं। महासंघों का यह निवेदन जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच यह सहमति हुई कि मंत्रिमंडल का निर्णय प्राप्त होने पर हड़ताल की अवधि के वेतन की कटौती मुल्तवी कर दी जाए।

13. तोड़ फोड़ के संदिग्ध मामलों को छोड़कर हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक / उत्पीड़न की कार्रवाही नहीं की जाएगी।

14. यह सहमति हुई कि उपयुक्त निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए संचार राज्य मंत्री जी

तीनों महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देंगे।

15. सेवाओं में आए व्यवधान और उपभोक्ताओं को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रमिक इस बात पर सहमत हुए कि वे आज 23 जून 1995 को 13.00 बजे तक काम को पूर्णतया सामान्य स्थिति में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे।

ह०/-
(आर०के० टक्कर)
अध्यक्ष
दूरसंचार आयोग एवम्
सचिव दूरसंचार विभाग
भारत सरकार

ह०/-
(चौ० रघुवीर सिंह)
नेता, कर्मचारी पक्ष
जे०सी०एम०

ह०/-
(ओ०पी० गुप्ता)
महासचिव, एन०एफ०टी०ई०

ह०/-
(आर० वेंकटरमन)
महासचिव, एन०एफ०टी०ओ०

मैं हड़ताल वापस लेने में सहमत हूं।
ह०/- 23.6.95
(सुरेश कुमार)
महासचिव, बी०टी०ई०एफ०

संचार विभाग
संचार भवन
पृष्ठांकन सं० 32-2/95-एसआरटी
दिनांक 23.6.95

प्रति सभी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचनार्थ प्रेषित।

सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक की मंजूरी

325. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के विभिन्न भागों में सड़क निर्माण हेतु कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी और उनके कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लगभग 320 कि०मी० लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के सुधार के लिए तथा उड़ीसा में राज्यीय सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 306 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण समझौते पर दि० 18.6.92 को विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं के सन् 2000 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में राज्यीय राजमार्गों के कुछ चुनिंदा खंडों को सुदृढ़ बनाने और चौड़ा करने तथा भागलपुर में गंगा पुल एवं पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध है। इन परियोजनाओं के जून, 1998 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

Amount to be gained by DOT from Private Operators

326. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had claimed that the DOT will get an amount of Rs. 1 lakh crore to Rs: 1.25 lakh crores from private operators in cellular and basic telecom services for a period of 15 years; and

(b) if so, what is the break up for such a projection?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Licences for franchise of Cellular Mobile Telephone Service in 4 metro cities have been granted to 8 Indian companies, two for each city. These licences have been granted for a period of 10 years. The minimum licence fee payable by the licencies over a period of ten years is Rs. 855 crores. However, from 4th year onwards, the licence fee will be linked with number of subscribers @ Rs. 5 lakhs per 100 subscribers and the actual licence fee may be more than the minimum licence fee.

The Govt. has not estimated the amount to be gained from private